



भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण

(सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार)

National Highways Authority of India

(Ministry of Road Transport and Highways, Government of India)

जी-5 एवं 6, सेक्टर-10, द्वारका, नई दिल्ली - 110 075 • G-5 & 6, Sector-10, Dwarka, New Delhi-110075

दूरभाष/Phone : 91-11-25074100 / 25074200



भाराराप्रा/ नीति दिशानिर्देश/ व्यावसायिक प्रचालन / 2026

नीति परिपत्र सं. 17.6.13/2026 दिनांक 02nd सितम्बर, 2026

{(ई-ऑफिस फाइल सं. CODIV-19/132/2024- CO Division (कम्प्युटर सं. 268382 पर लिया गया निर्णय))}

NHAI/ Policy Guidelines/ Commercial Operation/ 2026

Policy Circular No. 17.6.13 / 2026 dated 02nd September, 2026

{(Decision taken on E-Office File No. CODIV-19/132/2024- CO Division (Comp No. 268382))}

विषय: संविदात्मक विस्तार अवधि के अतिरिक्त प्रयोक्ता शुल्क संग्रहण एजेंसी (यूएफसीए) के "अतिरिक्त समय तक बने रहने" के कारण उत्पन्न दावों के निर्णय हेतु संशोधित नीति और प्रयोक्ता शुल्क संग्रहण एजेंसियों द्वारा "समय से पहले समाप्ति" के अनुरोध के बाद अनुमत संविदात्मक अवधि के अतिरिक्त समय तक बने रहने के दावों के संबंध में।

Sub: Revised Policy for deciding the Claims arising out due to "Overstay" of User Fee Collection Agency (UFCA) beyond Contractual Extension Period and also for Claim for Overstay beyond the Contractual Period allowed after the "Pre-mature Termination" request invoked by User Fee Collection Agencies- reg:-

यह नीति परिपत्र दिनांक 26 मार्च, 2025 के पूर्ववर्ती नीति परिपत्र संख्या 17.6.11/2025 का अधिक्रमण करता है और संविदात्मक विस्तार अवधि के अतिरिक्त प्रयोक्ता शुल्क संग्रहण एजेंसी (यूएफसीए) के "अतिरिक्त समय तक बने रहने" से उत्पन्न प्रतिपूर्ति के दावों के निर्धारण और "समय से पहले समाप्ति या संविदा करार के किसी वाक्यांश के तहत समाप्ति" के बाद अनुमत संविदात्मक अवधि के अतिरिक्त अतिरिक्त समय तक बने रहने के दावों और प्रयोक्ता शुल्क संग्रहण एजेंसियों/भाराराप्रा द्वारा किए गए अनुरोधों के लिए संशोधित कार्यप्रणाली की रूपरेखा प्रस्तुत करता है।

This Policy Circular supersedes the earlier Policy Circular no. 17.6.11/2025 dated 26th March, 2025 and outlines the Revised Methodology of Determining compensation Claims arising from "Overstay" of User Fee Collection Agency (UFCA) beyond Contractual Extension Period and also for Claim for Overstay beyond the Contractual Period allowed after the "Pre-mature Termination or Termination under any other Clause of Contract Agreement", and request invoked by User Fee Collection Agencies/NHAI.

2. शुल्क प्लाजा के लिए नए प्रयोक्ता शुल्क संग्रहण एजेंसी को समय पर नियुक्त करने के लिए हर संभव प्रयास किया जाना चाहिए और असाधारण मामलों और नियंत्रण के अतिरिक्त परिस्थितियों को छोड़कर अतिरिक्त समय तक बने रहने से बचा जाना चाहिए।

All out efforts should be made to engage the New User Fee Collection Agency for the Fee Plaza timely and Overstay must be avoided except in exceptional and beyond control circumstances.

Contd.....2/-

3. प्रतिपूर्ति के लिए संशोधित कार्यप्रणाली : अतिरिक्त समय तक बने रहने वाले यूएफसीए के लिए प्रतिपूर्ति अतिरिक्त समय तक रहने के दौरान प्राप्त वास्तविक आंकड़ों के आधार पर ही गणना किया जाएगा। संशोधित सूत्र निम्नवत है:

Revised Methodology for Compensation: Compensation for overstaying UFCAs will be calculated based solely on actual collection data during the Overstay Period. The revised formula is as follows

विकल्प# Option#	स्थिति Condition		संविदाकार की प्रतिपूर्ति (G) ₹ Contractor's Compensation (G) ₹
1	यदि $R \geq (A+B)$ हो, तो for $R \geq (A+B)$ then,	=	$(A+B)$ $(A+B)$
2	यदि $R < (A+B)$ और $(C - R) > 0$ हो, तो for $R < (A+B)$ and $(C - R) > 0$ then,	=	$(C - R)$ या $(A+B)$ में से जो भी कम हो, उसका न्यूनतम; Minimum of $(C - R)$ or $(A+B)$, whichever is lower;
3	यदि $R < (A+B)$ और $(C - R) \leq 0$ हो, तो for $R < (A+B)$ and $(C - R) \leq 0$ then,	=	R

कहाँ

Where,

A	=	प्रशासनिक व्यय {सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय परिपत्र के अनुसार 4 लेन तक का प्लाजा (2+2) = ₹ 41,000/- प्रति दिन 4 लेन से अधिक और 8 लेन तक (4+4) = ₹ 68,000/- प्रति दिन और 8 लेन से अधिक = ₹ 82,000 प्रति दिन} Admin. Expenses {as per MoRTH Circular i.e. plaza up to 4-lanes (2+2) = ₹ 41,000/- per day, more than 4-lanes and upto 8-lanes (4+4) = ₹ 68,000/- per day and more than 8-lanes= ₹ 82,000 per day}
B	=	संविदाकार का ओवरहेड और लाभ, A का 10% की दर से Contractor Overhead & Profit @10% of A
C	=	दिनभर के लिए प्रयोक्ता शुल्क संग्रहण (ईटीसीयूपीआई+) जिसमें ओवरलोडिंग शुल्क भी शामिल है User Fee Collection for the day (ETC+UPI) incl. Overloading fee
R	=	संविदा की समाप्ति तिथि पर प्रचलित संविदात्मक भुगतान Contractual Remittance prevailing on end date of Contract

*संदर्भ के लिए अनुलग्नक-1 में उदाहरण/नमूना गणनाएँ दी गई हैं।

*Illustration/sample calculations are provided at Annexure-1 as a reference.

टिप्पणी: यदि प्रयोक्ता शुल्क संविदाकार के प्रतिपूर्ति से अधिक है, तो उसे भाराराप्रा के खाते में स्थानांतरित कर दिया जाएगा। संविदाकार की प्रतिपूर्ति ए भाराराप्रा द्वारा संविदाकार के साथ संविदा के अनुसार दैनिक या साप्ताहिक आधार पर स्थानांतरित किया जाएगा।

Note: ' User Fee Collection, if greater than the Contractor's Compensation, shall be transferred to NHAI's Account. Contractor's Compensation shall be transferred by NHAI on "daily" or "weekly" as per contract with the Contractor.

4. यह सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से जारी किया जाता है।
This issues with the approval of Competent Authority.

संलग्नक: यथोपरी।

Encl.: As stated above.


02/09/26

(सीएस. संजय कुमार पटेल/ CS. Sanjay Kumar Patel)
प्रभारी मुख्य महाप्रबंधक(समन्वय) (i/c) Chief General Manager (Coord.)

प्रति/ To:

भाराराप्रा मुख्यालय/आरओ/पीआईयू/सीएमयू/साइट कार्यालयों के सभी अधिकारी।
All Officers of NHAI HQ/ ROs/ PIUs/ CMUs/ Site Offices.

प्रतिलिपि/ Copy to:

1. पुस्तकालय की साइट पर प्रकाशन के लिए पुस्तकालय को।
Library for hosting the Circular on Library site.
2. परिचालन के लिए वेब एडमिन को।
Web Admin for Circulation.
3. सचिव, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के प्रधान निजी सचिव को सूचनार्थ।
PPS to Secretary, MoRT&H for Kind Information.

नमूना की गणना
SAMPLE CALCULATIONS

टोल संग्रह Toll Collection	संविदात्मक प्रेषण Contractual Remittance	प्रशासनिक व्यय, जैसा लागू हो Admn. expense as applicable (₹41,000/ ₹68,000/ ₹82,000)	प्रशासनिक व्यय के 10% के रूप में ओवरहेड और लाभ। Overhead & Profit as 10% of Admn. expense	प्रशासनिक व्यय का 110%/ 110% of Admn. expense	लागू होने वाले अतिरिक्त समय तक बने रहने का व्यय Applicable Overstay Expenses	*लागू होने वाली शर्त/ विकल्प / *Applicable Condition/ Option
C	R	A	B = 10% * A	A+B	G	
प्रशासन के लिए ₹ 82,000 प्रति दिन की दर से शुल्क For Admin. Charges @ ₹ 82,000 per day						
1,20,000	1,00,000	82,000	8,200	90,200	90,200	विकल्प/ Option 1
1,50,000	1,00,000	82,000	8,200	90,200	90,200	विकल्प/ Option 1
10,000	5,000	82,000	8,200	90,200	5,000	विकल्प/ Option 2
50,000	30,000	82,000	8,200	90,200	20,000	विकल्प/ Option 2
20,000	20,000	82,000	8,200	90,200	20,000	विकल्प/ Option 3
30,000	50,000	82,000	8,200	90,200	50,000	विकल्प/ Option 3

प्रशासन के लिए ₹ 68,000 प्रति दिन की दर से शुल्क For Admin Charges @ ₹ 68,000 per day						
1,20,000	1,00,000	68,000	6,800	74,800	74,800	विकल्प/ Option 1
1,50,000	1,00,000	68,000	6,800	74,800	74,800	विकल्प/ Option 1
10,000	5,000	68,000	6,800	74,800	5,000	विकल्प/ Option 2
50,000	30,000	68,000	6,800	74,800	20,000	विकल्प/ Option 2
20,000	20,000	68,000	6,800	74,800	20,000	विकल्प/ Option 3
30,000	50,000	68,000	6,800	74,800	50,000	विकल्प/ Option 3
प्रशासन के लिए ₹ 41,000 प्रति दिन की दर से शुल्क For Admin Charges @ ₹ 41,000 per day						
1,20,000	1,00,000	41,000	4,100	45,100	45,100	विकल्प/ Option 1
1,50,000	1,00,000	41,000	4,100	45,100	45,100	विकल्प/ Option 1
10,000	5,000	41,000	4,100	45,100	5,000	विकल्प/ Option 2
50,000	30,000	41,000	4,100	45,100	20,000	विकल्प/ Option 2
20,000	20,000	41,000	4,100	45,100	20,000	विकल्प/ Option 3
30,000	40,000	41,000	4,100	45,100	40,000	विकल्प/ Option 3